खण्ड विकास अधिकारी नूरपुर (बिजनौर)

जनसूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क0सं	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	ग्राम पंचातयों एंव क्षेत्र पंचायत द्वारा क्षेत्र का विकास करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों कों रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन स्तर उठाना।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	कर्मचारी एंव अधिकारी राज्य सरकार के आधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के आधीन शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया,जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	क्षेत्र पंचायत एंव ग्राम पंचायतों की बैठको में कराये जानेवाले विकास कार्यो का अनुमादन प्रापत होने के पश्चात खण्ड विकास अधिकारी, सभी विभागों के सहायक विकास अधिकारी,द्वारा पर्यवेक्षण तथा कार्यालय सहायको व ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम पंचातय अधिकारियों ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कार्य सम्पादित किये जाते हैं
4	अपने कत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	थ्वकास खण्ड पर खण्ड विकास अधिकारी का पद सृजित है, जिनके नियन्त्रण में रहकर सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं
5	अपने द्वारा या अपने नियंयत्रणा धीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम ,विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी,कार्यालय सहायक ,ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचातय अधिकारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आधीन शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वाराअभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षिता रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एंव कार्यवाही प्रस्तावित की जाती हैं
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है	क्षेत्र पंचायत की बैठक में कराये जाने वाले विकास कार्यो का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तदानुसार कार्यवाही की जाती है।
8	बोर्ड, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो,परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोंगो के लिये खुली है,अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत लोंगों के लिए सुलभ हैं	ग्रम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत गठित है जिनमें 2 से अधिक सदस्य हैं। इनकी बैठको में सभी सदस्यों द्वारा विधिवत भाग लिया जाता है। इन बैठको के कार्यवृत सभी के लिये सुलभ हैं।

9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियो की निर्देशिका	सभी अधिकारी व कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियमों व निर्देशों के अधीन कार्य करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी औरकर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमो में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों	सभी कर्मचारी सरकारी सेवक है जिनको विभिन्न मदों से नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाता है इसमें कोई प्रतिकर सममलित नही है।
11	सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	विभिन्न शासकीय मदों से प्राप्त धनराशि से विकास कार्य कराये जाते हैं।
12	सहायिकी कार्यक्रम के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	विकास खण्ड तैनात सहायक विकास अधिकारियों के विभागों से धनराशि प्राप्त होती है जिससे उनके विभागो के कार्य कराये जाते है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों,अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का समूह बनाकर इन्हे रोजगार हेतु समय–2 पर प्रशिक्षित किया जाता है
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसके उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों	विकास खण्ड में टेलीफोन व कम्प्यूटर उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोंग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	नगरिकों द्वारा सूचना मांगे जाने पर यथा सम्भव सूचना ग्राम पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करादी जाती हैं। ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर ग्राम पंचायतों की सामान्य सूचनाऐं लिखवा दी जाती हैं।
16	जनसूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	जनसूचना अधिकारी – श्री मोहन सिह,सहायक विकास अधिकारी(पं0) विकास खण्ड नूरपुर।

खण्ड विकास अधिकारी
नूरपुर–बिजनौर।